छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक : प्रकरण क्रमांक– **M-PRO-2021-01298**

आवेदिका :– श्रीमती दीपा रामटेके एवं श्रीमती शांता बाई रामटेके, निवासी–प्रिन्सेस प्लेटिनम, मकान नं.–23, न्यू खण्डेलवाल कॉलोनी, ममता नगर, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) विरूद्ध श्री बलविन्दर सिंह भाटिया एवं श्रीमती शरणजीत कौर, कॉलोनाईजर, निवासी–जी.ई. रोड, मनसुखलाल पेट्रोल पंप के पास, प्रिन्सेस पैलेस, टिम्बर मार्कट रोड, कैलाश नगर, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) प्रोजेक्ट–''प्रिन्सेस प्लेटिनम'', नवागांव, जिला–राजनांदगांव

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
09/06/2022	– प्रकरण प्रस्तुत। – माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) के रिट पिटीशन क्रमांक–WPC NO. 996/2022; पिटिशनर (1) श्रीमती दीपा रामटेके, (2) श्रीमती शांताबाई रामटेके, विरूद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य–4 में पारित निर्णय दिनाँक 22/02/2022 के पालन में, उभय पक्ष को विधिवत् सूचना पत्र जारी कर सुनवाई की गई। आवेदक पक्ष अधिवक्ता ने प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाँक 17/05/2021 के बिन्दु क्रमांक–6, विचारणीय बिन्दु क्रमांक–2 में सुधार करने हेतु पृथक से आवेदन दिनाँक 19/05/2021 पेश किया था, जिसे प्राधिकरण ने आवेदकगण का आवेदन निराधार व सारहीन होने के कारण आदेश दिनाँक 25/06/2021 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अनावेदकगण ने अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से जवाब पेश किया है कि प्राधिकरण के प्रकरण क्रमांक–M-PRO-2021-01297 एवं M-PRO-2021-01298 में पारित आदेश दिनाँक 17/05/2021 के विरूद्ध छत्तीसगढ़ भू–संपदा अपीलीय अधिकरण में धारा–44 अपील पेश की जा चुकी है। अनावेदकगण द्वारा बताया गया है कि उन्होंने भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–43(ड़) के अंतर्गत 30% राशि भी दिनाँक 16/07/2021 को जमा की है। साथ ही अनावेदकगण ने यह भी लेख किया है कि प्राधिकरण द्वारा आवेदक के आवेदन अनुसार आदेश दिनाँक 17/05/2021 में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो वह अपील के उद्देश्यों को विफल कर देगा; इसलिये आवेदकगण का आवेदन अमान्य किया जावे।	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक : प्रकरण क्रमांक– **M-PRO-2021-01298**

आवेदिका :– श्रीमती दीपा रामटेके एवं श्रीमती शांता बाई रामटेके, निवासी–प्रिन्सेस प्लेटिनम, मकान नं.–23, न्यू खण्डेलवाल कॉलोनी, ममता नगर, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) विरूद्ध श्री बलविन्दर सिंह भाटिया एवं श्रीमती शरणजीत कौर, कॉलोनाईजर, निवासी–जी.ई. रोड, मनसुखलाल पेट्रोल पंप के पास, प्रिन्सेस पैलेस, टिम्बर मार्केट रोड, कैलाश नगर, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) प्रोजेक्ट–''प्रिन्सेस प्लेटिनम'', नवागांव, जिला–राजनांदगांव

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–39 मे यह प्रावधानित है कि ''प्राधिकरण, अभिलेख से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, इस अधिनियम के अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय, उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लाई जाती है तो ऐसा संशोधन करेगा, परंतु ऐसा कोई संशोधन ऐसे किसी आदेश के संबंध में जिसके विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील प्रस्तुत की गई है, नहीं किया जाएगा''। इस प्रकार धारा–39 के परन्तुक (1) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि ऐसा कोई संशोधन ऐसे किसी आदेश के संबंध में जिसके विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील प्रस्तुत की गई है, नहीं किया जाएगा। परन्तु माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में प्राधिकरण द्वारा उक्त आवेदन को विचारण हेतु ग्राह्य किया गया है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन को ध्यान में रखते हुये मूल प्रकरण में प्रस्तुत शिकायत पत्र व अभिलेखों का पुनः परिशीलन व अध्ययन किया गया। दोनों पक्षों को विस्तार से सुना गया तथा पुनः लिखित तर्क प्राप्त किये गये। आवेदकगण ने अपने मूल शिकायत पत्र में भूमि व भवन के पृथक–पृथक मूल्य के संबंध में कोई स्पष्ट अभिवचन नहीं किया है। साथ ही आवेदकगण ने मूल प्रकरण में ऐसा कोई सारवान अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे भवन व भूमि का मूल्य पृथक–पृथक होना दर्शित होता हो। इस प्रकार मूल प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाँक 17.05.2021 में ''सुधार किये जाने योग्य कोई गलती प्रकट नहीं होती है।'' अतः प्राधिकरण, आवेदकगण द्वारा आदेश में सुधार हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को गुण–दोष के आधार पर अस्वीकार करता है।	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक : प्रकरण क्रमांक– **M-PRO-2021-01298**

आवेदिका :– श्रीमती दीपा रामटेके एवं श्रीमती शांता बाई रामटेके, निवासी–प्रिन्सेस प्लेटिनम, मकान नं.–23, न्यू खण्डेलवाल कॉलोनी, ममता नगर, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) विरूद्ध श्री बलविन्दर सिंह भाटिया एवं श्रीमती शरणजीत कौर, कॉलोनाईजर, निवासी–जी.ई. रोड, मनसुखलाल पेट्रोल पंप के पास, प्रिन्सेस पैलेस, टिम्बर मार्केट रोड, कैलाश नगर, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) प्रोजेक्ट–''प्रिन्सेस प्लेटिनम'', नवागांव, जिला–राजनांदगांव

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	– आदेश की प्रति को प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया जावे। – प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है। प्रकरण अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही / – (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य सही / – (विवेक ढाँड) अध्यक्ष	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक :   प्रकरण क्रमांक– **M-PRO-2021-01298**

आवेदिका :– श्रीमती दीपा रामटेके एवं श्रीमती शांता बाई रामटेके, निवासी–प्रिन्सेस प्लेटिनम, मकान नं.–23, न्यू खण्डेलवाल कॉलोनी, ममता नगर, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) विरूद्ध
श्री बलविन्दर सिंह भाटिया एवं श्रीमती शरणजीत कौर, कॉलोनाईजर, निवासी–जी.ई. रोड, मनसुखलाल पेट्रोल पंप के पास, प्रिन्सेस पैलेस, टिम्बर मार्केट रोड, कैलाश नगर, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) प्रोजेक्ट–''प्रिन्सेस प्लेटिनम'', नवागांव, जिला–राजनांदगांव

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक :   प्रकरण क्रमांक– **M-PRO-2021-01298**

आवेदिका :– श्रीमती दीपा रामटेके एवं श्रीमती शांता बाई रामटेके, निवासी–प्रिन्सेस प्लेटिनम, मकान नं.–23, न्यू खण्डेलवाल कॉलोनी, ममता नगर, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) विरूद्ध
श्री बलविन्दर सिंह भाटिया एवं श्रीमती शरणजीत कौर, कॉलोनाईजर, निवासी–जी.ई. रोड, मनसुखलाल पेट्रोल पंप के पास, प्रिन्सेस पैलेस, टिम्बर मार्केट रोड, कैलाश नगर, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) प्रोजेक्ट–''प्रिन्सेस प्लेटिनम'', नवागांव, जिला–राजनांदगांव

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक : प्रकरण क्रमांक– **M-PRO-2021-01298**

आवेदिका :– श्रीमती दीपा रामटेके एवं श्रीमती शांता बाई रामटेके, निवासी–प्रिन्सेस प्लेटिनम, मकान नं.–23, न्यू खण्डेलवाल कॉलोनी, ममता नगर, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) विरूद्ध
श्री बलविन्दर सिंह भाटिया एवं श्रीमती शरणजीत कौर, कॉलोनाईजर, निवासी–जी.ई. रोड, मनसुखलाल पेट्रोल पंप के पास, प्रिन्सेस पैलेस, टिम्बर मार्केट रोड, कैलाश नगर, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) प्रोजेक्ट–''प्रिन्सेस प्लेटिनम'', नवागांव, जिला–राजनांदगांव

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर